

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),
जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 114/2005(आरसीएमएस संख्या : 2005/00060)
सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर, जिला-जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र श्री छीतर, जाति-जाट, निवासी-किशोरपुरा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
2. जगदीश पुत्र श्री छीतर, जाति-जाट, निवासी-किशोरपुरा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
3. बन्नाराम पुत्र श्री छीतर, जाति-जाट, निवासी-किशोरपुरा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
4. गोरधन पुत्र श्री बख्तावरा, जाति-जाट, निवासी-किशोरपुरा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर। (मृतक)
- 4/1 रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री गोरधन, जाति-जाट, निवासी-किशोरपुरा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
- 4/2 हनुमान पुत्र स्व0 श्री गोरधन, जाति-जाट, निवासी-किशोरपुरा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
5. जयपुर जिला सहकारी भूमी विकास बैंक, शाखा-फागी।

अप्रार्थी,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,
1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :-

1. परोकार सरकार।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 24.12.2019

तहसीलदार, फागी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि ग्राम-किशोरपुरा की आराजी खसरा नं0 218/339 रकबा 15 बिस्वा भूमि माफी कल्याण जी वाके देह डिग्गी बहतमाम पुजारी दुर्गालाल पुत्र श्री इमरतीलाल कौम-ब्राह्मण, साकिन डिग्गी माफीदेन तनख्वाहदार मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011-2030 में दर्ज थी जो कालान्तर में अवैध रूप से माफी कल्याण जी वाके देह डिग्गी के बजाय बख्तावरा पुत्र लछमण, कौम-जाट के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2020-2023 में दर्ज कर दी गई। तत्पश्चात् जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या-61 छीतर व गोरधन के नाम इसके पश्चात् छीतर की विरासत का नामान्तरकरण संख्या-254 दर्ज किया गया। जिसके परिणाम-स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2053-2056 में खातेदारी छीतर वगैराह के नाम दर्ज है। जो पुनः माफी कल्याण जी वाके देह डिग्गी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।



उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् परोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान् परोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम-किशोरपुरा की आराजी खसरा नं० 218/339 रकबा 15 बिस्वा भूमि माफी कल्याण जी वाके देह डिग्गी बहतमाम पुजारी दुर्गालाल पुत्र श्री इमरतीलाल कौम-ब्राह्मण, साकिन डिग्गी माफीदेन तनखाहदार मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011-2030 में दर्ज थी जो कालान्तर में अवैध रूप से माफी कल्याण जी वाके देह डिग्गी के बजाय बख्तावरा पुत्र लछमण, कौम-जाट के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2020-2023 में दर्ज कर दी गई। तत्पश्चात् जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या-61 छीतर व गोरधन के नाम इसके पश्चात् छीतर की विरासत का नामान्तरकरण संख्या-254 दर्ज किया गया। जिसके परिणाम-स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2053-2056 में खातेदारी छीतर वगैराह के नाम दर्ज है। जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। मन्दिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, शाश्वत नाबालिग के हितो की रक्षा करना सरकार का दायित्व है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, जरिये डिक्री अथवा अन्य किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वयं काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये हैं तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगे अतः इन्द्राजों को निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी कल्याण जी वाके देह डिग्गी के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने विद्वान् परोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू-प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2011-2030 में माफी कल्याण जी वाके देह डिग्गी बहतमाम पुजारी दुर्गालाल पुत्र श्री इमरतीलाल कौम-ब्राह्मण, साकिन डिग्गी माफीदेन तनखाहदार दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का डिक्री/हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना



किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। देवमूर्ति की आराजी से यदि पुजारी अथवा अन्य द्वारा काशत भी की गई है तो भी खातेदारी अधिकार पुजारी अथवा अन्य व्यक्ति जिसके द्वारा मंदिर की आराजी को काशत किया गया है, को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी भूमि में विद्यमान है। माफी कल्याण जी वाके देह डिग्गी बहतमाम पुजारी दुर्गालाल पुत्र श्री इमरतीलाल कौम-ब्राह्मण, साकिन डिग्गी माफीदेन तनखाहदार की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा-काशत भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा-कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना गया है और उसको खातेदारी अधिकार दिये जाना अविधिक हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी कल्याण जी वाके देह डिग्गी बहतमाम पुजारी दुर्गालाल पुत्र श्री इमरतीलाल कौम-ब्राह्मण, साकिन डिग्गी माफीदेन तनखाहदार की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्बत् 2020-2023 में निजी खातेदारी बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज तथा पश्चात्वर्ती इसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या-61 व नामान्तरकरण संख्या-254 ग्राम-किशोरपुरा वादग्रस्त आराजी की सीमा तक प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी कल्याण जी वाके देह डिग्गी के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को दिनांक 11.02.2020 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर